

(TO BE PUBLISHED IN THE DELHI GAZETTE PART IV-EXTRAORDINARY)
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
FINANCE (TAXES & ESTABLISHMENT) DEPARTMENT
DELHI SECRETARIAT, 4th LEVEL, 'A' WING, I.P. ESTATE, NEW DELHI-110 002

No.F.5(44)/Fin.(T&E)/2007-08

Dated:

ORDER

No.F.5(44)/Fin. (T&E)/2007-08: In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. II of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, S.O. 1726 Notification No.F.2/5/61-Judl. II, dated the 22nd July, 1961 the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby directs that M/s Elent Electronics Private Limited, 67, D.S.I.D.C. Okhla Phase - I, New Delhi 110020 shall pay a consolidated stamp duty of Rs.255/- (Rupees Two Hundred and Fifty Five only) on the value of shares of Rs.2,55,000/- (Rupees Two Lakh and Fifty Five Thousand only) for share certificates with distinctive Nos. 001-25500 to be issued by the said Company.

6140/ADM(HO)
14/6/07
By order and in the name of the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi

(Daljit Singh)
Deputy Secretary Finance (T&E)

No.F.5(44)/Fin. (T&E)/2007-08/dsfee/450

Dated: 13/6/2007

Copy forwarded to:

1. The Secretary, GAD, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, I.P. Estate, New Delhi (in duplicate with Hindi version) with the request to publish the order in the Delhi Gazette part –IV extraordinary to today's date.
- ✓ 2. The Divisional Commissioner, Govt. of NCT of Delhi, 5 Sham Nath Marg, Delhi.
3. Collector of Stamps/SDM Kalkaji, New Delhi.
4. M/s Elent Electronics Private Limited, 67, D.S.I.D.C. Okhla Phase - I, New Delhi 110020
5. Guard file.

(Daljit Singh)
Deputy Secretary Finance (T&E)

Mr. Ashwin
14/6/07

2905/SDM-II(HO)
15-06-07

दिल्ली राजपत्र भाग—4 (असाधारण) में प्रकाशनार्थ
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
वित्त (स्था. व कर) विभाग
दिल्ली सचिवालय, आई.पी.इस्टेट,
नई दिल्ली—110002

सं.फा.5 (५५)/वित्त (स्था. व कर)/2007-08/

दिनांक

आदेश

सं.फा.5(५५)/वित्त व कर / 2007-08 / गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 22 जुलाई, 1961 की अधिसूचना एस.ओ.1726 सं.फा. 2/5/61-न्याय-।। के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा ७ की (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप-राज्यपाल निर्देश देते हैं कि सर्वश्री एलेंट इलेक्ट्रोनिक्स प्रा० लि०, 67, डी.एस.आई.डी.सी, ओखला फेज-1, नई दिल्ली-110020 द्वारा जारी किये जाने वाले रूपये 2,55,000/- (रूपये दो लाख पचपन हजार केवल) मूल्य के शेयरों जिनकी पृथक संख्या 001 से 25500 हैं, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रूपये 255/- (रूपये दो सौ पचपन) के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान कर्मनी करेगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप-राज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर

(बलजीत सिंह)

उप-सचिव वित्त (कर व स्था.)

सं.फा.5 (५५)/वित्त (स्था. व कर)/2007-08/१५६८४३८९६/४५० दिनांक 13/6/2007

1. सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार को एक अतिरिक्त प्रति सहित दिल्ली राजपत्र भाग—4 (असाधारण) में आज की तिथि में प्रकाशनार्थ।
2. मण्डल आयुक्त, ५ शामनाथ मार्ग, दिल्ली।
3. मुद्रांक समाहर्ता/एसडीएम, कालकाजी, दिल्ली।
4. सर्वश्री एलेंट इलेक्ट्रोनिक्स प्रा० लि०, 67 डी.एस.आई.डी.सीओखला फेज-1 नई दिल्ली-110020
5. गार्ड फाईल।

(बलजीत सिंह)

उप-सचिव वित्त (कर व स्था.)